इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 5 अंक सं. : 8 मार्च,, 2013

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

संघीय बजट की मुख्य-मुख्य बातें ----------1
मुख्य घटनाएं----------2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं---------- 3
विनियामकों के कथन ----------4
बीमा ----------5
सूक्ष्म वित्त ----------5
सहकारी बैंकिंग----------5
विदेशी मुद्रा ----------5
उत्पाद एवं गठजोड़ ----------5
नयी नियुक्तियां----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं- ----------7
शब्दावली ----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

संघीय बजट 2013-14 की मुख्य-मुख्य बातें

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बासेल -III विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना। पूंजी लगाने हेतु 2013-14 के बजट अनुमानों में 14,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- 31 मार्च 2014 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं में एटीएम की व्यवस्था किया जाना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक के रूप में भारत के प्रथम महिला बैंक की स्थापना का प्रस्ताव। प्रारंभिक पूंजी के रूप में 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- चालू खाते के उच्च घाटे को देखते हुए विदेशी निवेश आवश्यक है। विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) चालू खाते के घाटे के वित्तीयन के तीन मुख्य स्रोत हैं। ऐसे विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया किया जाएगा जो हमारे आर्थिक उद्देश्यों से सुसंगत हो।
- अल्पावधिक फसल ऋणों के लिए ब्याजगत अनुदान जारी रखा जाएगा, निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से लिये जाने वाले फसल ऋणों की योजना विस्तारित।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्राप्त लाभ अथवा प्राथमिकताएं उनके बढ़ कर इस श्रेणी से बाहर हो जाने के बाद तक जारी रहेगी।
- 2013-14 में ग्रामीण आवास निधि को 6,000 करोड़ रुपये।
- देश में जीवन और सामान्य, दोनों ही बीमों की पैठ बढ़ाने के लिए एक बहु-उद्देशीय दृष्टिकोण। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के साथ परामर्श कर के बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन के बिना टियर II और उससे नीचे वाले शहरों में शाखाएं खोलने के लिए बीमा कम्पनियों को अधिकार देने जैसे कई एक प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया। बीमा पॉलिसियां अभिगृहीत करने के लिए बैंकों की अपने ग्राहक को

जानिए प्रक्रिया पर्याप्त होगी, बैंकों को बीमा दलालों के रूप में कार्य करने की अनुमति होगी, बैंकिंग कारबार संपर्की को सूक्ष्म बीमा उत्पाद बेचने की अनुमति ।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना रिक्शा, ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों, स्वास्थ्य रक्षकों, कबाड़ियों और खान-मज़दूरों तक विस्तारित की जाएगी।
- असंगठित क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाओं के बीच अभिसरण को सुगम बना कर एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा पैकेज तैयार किया जाएगा। वर्ष 2013-14 में इस निधि को 2,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों को शेयर बाज़ार में खरीदी-बेची जाने वाली मुद्रा व्युत्पन्नी (Derivative) खण्ड में भारत मे उनके भारतीय रुपये में निवेश जोखिम (एक्सपोजर) की सीमा तक सहभागिता करने की अनुमति होगी।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों को उनकी मार्जिन सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने हेतु उनके निवेशों का कारपोरेट बॉण्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में संपार्श्विकों के रूप में उपयोग करने की भी अनुमति होगी।
- लघु एवं मध्यम उद्यमों को लघु एवं मध्यम उद्यम केन्द्र में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) में निवेश करने की आवश्यकता के बिना सूचीबद्ध होने की अनुमति होगी।
- 4,909 करोड़ रुपये की लागत पर डाक नेटवर्क को आधुनिकीकृत करने की सूचना प्रौद्योगिकी चालित एक महत्वाकांक्षी परियोजना। डाकघर कोर बैंकिंग समाधान के अंग होंगे तथा तत्काल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे।

मुख्य घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नये बैंक लाइसेंसों के बारे में अंतिम दिशानिर्देश जारी किए। नये मानदंडों का संक्षिप्त विहगावलोकन

पात्र प्रवर्तक

- कम्पनियां, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां तथा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं / कम्पनियां
- दलाली और स्थावर संपदा फर्में
- प्रवर्तकों का 10 वर्ष के अच्छे रिकार्ड के साथ वित्तीय रूप से सुदृढ़ होना जरूरी।
- अन्य विनियामकों और अन्वेषक एजेन्सियों से सकारात्मक प्रति-सूचना महत्वपूर्ण।

पूर्ण अवरुद्ध (Ring-fenced) ढांचा

- प्रवर्तकों के लिए बैंकों का गठन पूर्णत: स्वाधिकृत गैर-परिचालनीय वित्तीय नियंत्रक कम्पनियों के माध्यम से करना जरूरी।

- नियंत्रक कम्पनी और बैंक को प्रवर्तक समूह की किसी कम्पनी को उधार देने अथवा उनमें निवेश करने की अनुमति नहीं।
- नियंत्रक कम्पनियों के शेयर प्रवर्तक समूह के बाहर वाली कम्पनियों को अंतरित नहीं किए जा सकते।

बैंक में शेयरधारिता

- नियंत्रक कम्पनी बैंक में 5 वर्ष तक 40% हित (Stake) रखेगी।
- नियंत्रक कम्पनी बैंक में हित को 10 वर्ष में घटाकर 20%, 12 वर्ष में 15% करेगी।
- विदेशी शेयरधारिता 5 वर्ष तक 49% तक सीमित।

अन्य शर्तें

- कम से कम 25% नयी शाखाओं का बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में होना जरूरी।
- बैंक के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होना जरूरी।

आवेदन की प्रक्रिया

- बैंकिंग लाइसेंसों के लिए आवेदन 1 जुलाई तक भेजना आवश्यक।
- भारतीय रिज़र्व बैंक एक उच्च-स्तरीय परामर्शी समिति से प्राप्त सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत आदित:: अनुमोदन जारी करेगा।
- सिद्धांतत: अनुमोदन 1 वर्ष तक वैध होगा।

वित्तीय साक्षरता के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक की निर्देशिका

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय जागरूकता पैदा करने और सामान्य जनता को मुद्रा के प्रबन्धन, बैंकों के पास बचत करने के महत्व, बैंकों से उधार लेने से होने वाले लाभों तथा उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में शिक्षित करने में सहायता करने हेतु एक व्यापक वित्तीय साक्षरता निर्देशिका जारी की है। इस निर्देशिका में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने हेतु प्रशिक्षकों के लिए नोटों और परिचालनात्मक दिशानिर्देशों एवं सामग्री का भी समावेश है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कठोर पुनर्व्यवस्था मानदंड प्रस्तावित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुनर्व्यवस्थित मानक खातों के लिए प्रावधान में तथा प्रवर्तकों की वैयक्तिक गारंटी में वृद्धि की सिफारिश करते हुए बैंकों के लिए कठोर पुनर्व्यवस्था मानदंड प्रस्तावित किए हैं। कारपोरेट गारंटियां ऐसे मामलों में स्वीकार की जाएंगी, जिनमें किसी कम्पनी के प्रवर्तक व्यक्ति न हों, अपितु वे अन्य कारपोरेट निकाय हों अथवा जिनमें वैयक्तिक प्रवर्तकों की सुस्पष्ट रूप से पहचान न की जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक चेकों का उपयोग हतोत्साहित करने का इच्छुक

चेकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के अभियान में भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नानुसार कुछेक सुझाव दिए हैं :

- मुफ्त चेकबुकों को प्रति वर्ष के आधार पर न्यूनतम संख्या तक सीमित रखा जाए।
- बैंक व्यक्तियों द्वारा जारी चेकों के लिए मात्रा / मूल्य सीमा लागू करने पर विचार कर सकते हैं।
- उत्तर-दिनांकित चेक रोक दिए जाने चाहिए तथा नये ऋणों के सम्बन्ध में केवल इलेक्ट्रॉनिक चुकौती की अनुमति दी जानी चाहिए।
- क्रेडिट कार्ड की देय राशियों का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक विधि से किया जाना चाहिए।
- बैंक ऐसे व्यक्तियों द्वारा वसूली के लिए जमा कराए गए चेकों पर कार्रवाई प्रभार वसूल कर सकते हैं, जिन्होंने शेयरों / डिबेंचरों / बॉण्डों आदि में निवेश किया हो।
- व्यक्तियों द्वारा (मात्रा एवं आवृत्ति, दोनों ही में) भारी रकम वाले आहरणों और नकद जमाराशियों पर भी प्रभार वसूल किया जा सकता है।
- कारपोरेट / संस्थागत ग्राहकों के लिए चेक बुकों तक पहुंच मंहगी की जा सकती है। कारपोरेट/ टों और संस्थागत ग्राहकों को भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से ही करना चाहिए।
- उनके द्वारा चेक वसूली के लिए जमा कराए जाने पर बैंक प्रभार वसूल कर सकते हैं।
- चालू खाता धारकों द्वारा नकद जमाओं और आहरणों पर भारी प्रभार वसूल किया जा सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 10,000 करोड़ रुपये की उत्कृष्ट प्रतिभूतियों (Gilts) की खुले बाज़ार में खरीद

चलनिधि के दबाव में कमी लाने के लिए हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10, 000 करोड़ रुपये तक की उत्कृष्ट प्रतिभूतियों (Gilts) की खुले बाज़ार में खरीद की घोषणा की है। दैनिक औसत चलनिधि समायोजन सुविधा की उधार राशि 94,477 करोड़ रुपये थी। चलनिधि की स्थिति सुधारने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3री तिमाही की अपनी समीक्षा में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 25 आधार अंकों की कटौती कर के उसे बैंकों की निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) का 4% कर दिया था। उसके बावजूद चलनिधि समायोजन सुविधा की उधार राशि अधिक बनी हुई है। किन्तु खुले बाज़ार के परिचालन (OMO) से चलनिधि की स्थिति में अधिक सहूलियत नहीं प्राप्त हो सकती। फेडरल बैंक के खजाने के अध्यक्ष श्री आशुतोष खजूरिया का कहना है कि "घाटा 1 लाख करोड़ रुपये का है, इसलिए 10,000 करोड़ रुपये का खुले बाज़ार का एक परिचालन पर्याप्त नहीं होगा। जब

तक सरकार खर्च करना नहीं आरंभ करती है, तब तक मुझे खुले बाज़ार के और अधिक परिचालनों की आशा है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों की स्वर्ण जमा योजना को अधिक आकर्षक बनाया

निष्क्रिय सोने से नियंत्रण हटाने के प्रयास में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों की स्वर्ण जमा योजना को निवेश की समयावधि घटाते हुए तथा पारस्परिक निधियों (MFs) को इस योजना में सहभागिता करने की अनुमति देते हुए और आकर्षक बना दिया है। परिपक्वता अवधि को पूर्ववर्ती तीन से सात वर्ष से बदल कर छ: माह से सात वर्ष कर दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की समिति ने यह अनुमान लगाया है कि लगभग 20, 000 टन का निष्क्रिय सोना लोगों के पास पड़ा है। भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्क्रिय सोने का उपयोग उत्पादक उद्देश्यों हेतु करना चाहता है तथा आयात की मांग पर रोक भी लगाना चाहता है। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत पारस्परिक निधियां और शेयर बाज़ार में खरीदी-बेची जाने वाली निधियां (ETFs) भी इस योजना के तहत जमा कर सकती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि बैंकों के लिए इस योजना को लागू करने हेतु उससे पूर्वानुमोदन प्राप्त करना जरूरी नहीं होगा। हालांकि, उनके लिए इस योजना को परिचालित करने वाली शाखाओं के नाम सहित इस योजना के विवरणों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करना आवश्यक होगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ियों को रोकने हेतु स्कोर

क्रेडिट कार्ड से सम्बन्धित धोखाधड़ियों में हाल की बाढ़ को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समर्थन पा कर राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPC) बैंकों को ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने हेतु उकसा रहा है जो ग्राहक के खर्च करने पर नज़र रखेगा तथा चेतावनियां भेजेगा। उक्त सॉफ्टवेयर किसी ग्राहक की खर्च करने की पारंपरिक आदतों यथा - रकम, बिक्री केन्द्रों की किस्म तथा आवृत्ति के आधार पर गणना तैयार करेगा।

जमा वृद्धि पिछड़ी, जबकि ऋण वृद्धि भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमानों के अनुरूप

बैंक ऋणों में इस वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमानों के अनुरूप 16.04% की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि 13.08% के स्तर पर रहते हुए जमाराशियों में पिछड़ने का क्रम जारी रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बैंकों ने 15 जनवरी को समाप्त पखवाड़े में 8, 500 करोड़ रुपये के नये ऋण संवितरित किए, जबकि जमाराशियों में लगभग 11,500 करोड़ रुपये की गिरावट आई। इस

वित्तीय वर्ष में जमा वृद्धि में निरंतर रूप से गिरावट आती रही है और उसे इस वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के 15% के पूर्वानुमानों तक पहुंचना अभी तक शेष ही है।

प्रावधानीकरण के नये मानदंड बैंकों के लाभ को प्रभावित करेंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पुनर्व्यवस्थित ऋणों के लिए नये प्रावधानीकरण मानदंड लागू किए जाने पर बैंकिंग प्रणाली को उसके निम्नतम आधार पर आगामी दो वर्षों में लगभग 13, 000 करोड़ रुपये का सामूहिक आघात सहना पड़ सकता है। प्रारंभ में बैंकों के लिए पुनर्व्यवस्थित ऋणों के मौजूदा पोर्टफोलियो पर प्रावधानीकरण 2.75% से बढ़ा कर मार्च, 2015 तक 5% करने की आवश्यकता होगी - जिसके इस वर्ष मार्च के अंत में 3.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की आशा है। इससे उन पर अनुमानित रूप से 7, 300 करोड़ रुपये का भार पड़ सकता है। इसके अलावा, यह मान लेने पर कि पुनर्व्यवस्था का स्तर 5, 000 करोड़ रुपये प्रति माह बने रहने पर यह पोर्टफोलियों को 2015 तक मोटे तौर पर 4.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा देगा। इसकी परिणति लगभग 6, 000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधानीकरण के रूप में हो सकती है।

चलनिधि की कमी के कारण वाणिज्यिक पत्रों की दरें बढ़ीं

प्रणाली में चलनिधि की कमी के दैनिक आधार पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के स्तर पर रहने के कारण वाणिज्यिक पत्रों की दरों में वृद्धि की प्रवृत्ति जारी है। हाल के दिनों में वाणिज्यिक पत्रों की दरों में 50-80 आधार अंकों की वृद्धि हुई थी, क्योंकि प्रणाली में दैनिक औसत चलनिधि की कमी 95, 000 करोड़ रुपये के आसपास तक पहुंच गई थी। इन दरों में और भी वृद्धि होने की आशा है।

मुद्रा प्रबन्धन परिचालन

बैंक नोटों के भारी परिमाण में मुद्रित किए जाने के सम्बन्ध में व्यक्त जा रही चिंता के अनुसरण में वित्त मंत्रालय ने बैंकों से उनके मुद्रा प्रबन्धन परिचालनों में सुधार लाने के लिए कहा है। मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने यह सिफारिश की है कि नकदी किसी बैंक की तिजोरी धारिता सीमा (VHL) के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कई एक मामलों में कोष्ठ दखल क्षमता (Bin Occupancy) को तिजोरी धारिता सीमा के 90% तक के उच्च स्तर पर पाया गया है। इसके परिणामस्वरूप मुद्रा बेकार पड़ी रहती है; इसप्रकार अधिक करेंसी मुद्रित करने की आवश्यकता बढ़ जाती है। उक्त समिति ने यह मत व्यक्त किया है कि इतनी भारी मात्रा में नोटों को तिजोरियों में रखे जाने से बैंकों के मुद्रा प्रबन्धन परिचालन की कार्यकुशलता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। उसने बैंकों से उनकी मुद्रा तिजोरियों में कोष्ठ दखल क्षमता की समीक्षा करने तथा नकदी प्रबन्धन के लिए एक प्रभावी प्रबन्धन सूचना प्रणाली लागू करने के लिए कहा है। उक्त समिति ने यह सुझाव दिया है कि ग्रमीण क्षेत्रों में कोष्ठ दखल क्षमता तिजोरी धारिता सीमा (VHL) के 40% तक सीमित होनी चाहिए।

बैंकों का लक्ष्य उच्च अंतरपणन लाभ

मार्च में 1 लाख करोड़ रुपये के जमा प्रमाणपत्रों का नवीकरण आसन्न होने के परिणामस्वरूप बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की पुनर्खरीद (Repo) सुविधा से उधार लेकर और अल्पावधिक जमा बाज़ार में उधार दे कर अंतरपणन की तैयारी कर रहे हैं। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा खिड़की से 7.75% पर उधार ले सकते हैं। 3 माह के जमा प्रमाणपत्रों से सम्बन्धित दरें लगभग 9% हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा (बाज़ार के सहभागियों द्वारा यथा-अपेक्षित) पुनर्खरीद दरों में 25 आधार अंकों की कमी कर दिए जाने और अल्पावधिक दरों में वृद्धि हो जाने पर बैंक उच्चतर अंतरपणन लाभ दर्ज करेंगे। विशिष्ट रूप से, वित्तीय वर्ष के अंत में अल्पावधिक दरों में वृद्धि होती ही है, क्योंकि बैंक वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निधियों के लिए आपाधापी करते हैं।

उभरते बाज़ारों में मोबाइल बैंकिंग का विकास चरघातांकी रूप से होगा

उभरते बाज़ारों वाले भूदृश्य में विभिन्न प्रवृत्तियों एवं प्रोद्योगियों में मोबाइल बेंकिंग का स्थान अग्रिम पंक्ति में होगा। भारत के पास लगभग 675 मिलियन सक्रिय मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन मौजूद हैं और मोबाइल बैंकिंग में ऐसी विस्फोटक वृद्धि परिलक्षित होने वाली है, जो समस्त बैंकिंग परिदृश्य को बदल देगी। मोबाइल उपकरणों ने अपने प्रसार क्षेत्र, सहूलियत एवं सक्षमताओं के कारण 550 अमरीकी डालर के जितने कमतर सकल घरेलू उत्पाद वाले देशों में 50% से अधिक की पैठ बना ली है। विश्वभर के अधिसंख्य मोबाइल खरीदार उभरते बाज़ारों में स्थित हैं।

मुद्रा (करेंसी) नोटों का मूल्य मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं रह गया

भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रा नोटों की मांग के प्रतिरूपण (मॉडेलिंग) के सम्बन्ध में अनुभवसिद्ध अध्ययन के अनुसार पिछले चार दशकों में करेंसी नोट का औसत मूल्य मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं रह गया है। उक्त अध्ययन में इस अवधि के दौरान प्रचलन के अधीन सभी मूल्यवर्गों वाले करेंसी नोटों की संरचना में हुए परिवर्तनों का उल्लेख है। करेंसी नोट (10 रुपये और उससे अधिक के मूल्यवर्गों वाले) का औसत मूल्य लगभग आठ गुना बढ़ गया है, जबकि मूल्य स्तर में 18 गुने की वृद्धि हुई। उच्चतर मूल्यवर्ग वाले (500 रुपये और 1000 रुपये) नोटों की शुरूआत के परिणामस्वरूप भी हो रहा मूल्यवर्ग सम्बन्धी वितरण मुद्रास्फीति की राह द्वारा आवश्यक बना दी गई विविध मूल्यवर्गों की अन्तर्निहित मांग के अनुरूप नहीं रहा। इसका निहितार्थ यह है कि उपभोक्ता को उतनी ही मात्रा वाले माल एवं सेवाएं खरीदने के लिए (इसके पहले की अपेक्षा) काफी अधिक संख्या वाले करेंसी नोटों को ले जाने की आवश्यकता होगी। चूंकि मुद्रास्फीति की दर नोट के औसत मूल्य में हुई वृद्धि से अधिक रही, 10 रुपये और उससे अधिक के करेंसी नोटों के वास्तविक औसत मूल्य में 2008-09 में 8.9 रुपये की साधारण वृद्धि के पूर्व 1971-72 में 21.6 रुपये से 1997-98 में 5.8 रुपये तक की गिरावट देखने में आई (आधार : 1971-72)।

वित्त वर्ष 13 में कासा जमाराशियों की वृद्धि मंद

बैंकिंग प्रणाली में चालू खाते और बचत खाते (CASA) की जमाराशियों, जो बैंकों के लिए सस्ती निधियों की स्रोत होती हैं, की वृद्धि इस वर्ष मंद बनी रही। अप्रैल 2012 और जनवरी के अंत वाली अवधि के बीच में बैंकिंग प्रणाली में मांग जमाराशियां 7% संकुचित हुईं। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों से यह पता चलता है कि इस अवधि में समग्र जमा वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 10.8% के मुकाबले 6.78% के रूप में कमजोर रही। 9% की दर से वृद्धि दर्ज करने के परिणामस्वरूप सावधि जमाराशियों का निष्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की 10% की तुलना में कासा जमाराशियों की अपेक्षा बेहतर रहा। सावधि जमाराशियां वे हैं जो बैंक के पास एक निश्चित नियत अवधि के लिए अवरुद्ध होती हैं और बैंक उन पर मांग जमाराशियों, जो किसी भी समय आहरित की जा सकती हैं, की तुलना में उच्चतर ब्याज का भुगतान करते हैं।

विनियामकों के कथन

बैंकों के लिए ग्राहक सेवा आवश्यक रूप से मूल संकेन्द्रण होना चाहिए

बैंकिंग सेवाओं को अभिगम्य और लेनदेनों को वहनीय बनाना घट कर विनियामक कार्यसूची रह गया है। किसी सफल व्यवसाय की कसौटी इस कहावत में निहित है कि ग्राहक राजा होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. कें सी चक्रवर्ती का कहना है कि "ग्राहक की सेवा करना ही अनिवार्य रूप से बैंकों के अस्तित्व का मुख्य कारण है। किन्तु पिछले वर्षों में ग्राहक बैंकों की कार्यप्रणाली में मात्र परिसरीय (Peripheral) बन गया है। बैंकों को ग्राहक सेवा को अधिमान देने की जरूरत है।"

मौद्रिक सहूलियत के अवसर सीमित

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने अगले कुछेक महीनों में मौद्रिक नीति में सहूलियत की सीमित गुंजाइश का संकेत दिया है, क्योंकि राजकोषीय और चालू खाते के घाटों के सम्बन्ध में चिंता के साथ ही मुद्रास्फीति के बढ़ने का जोखिम मौजूद है। भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति से सम्बन्धित कार्रवाइयों पर निर्णय लेने के लिए राजकोषीय समेकन के उपायों और बजट में प्रकटित घाटे के अनुमानों को भी ध्यान में रखेगा। डॉ. सुब्बाराव का कहना है कि "सरकार द्वारा किया गया राजकोषीय समायोजन मौद्रिक नीति के अंशाकन के लिए एक महत्वपूर्ण चर (Variable) है। हम सुर्खियों में आई राजकोषीय घाटे की संख्या को ध्यान में रखेंगे और राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता पर भी विचार करेंगे।"

नये बैंकों के लिए प्रारंभ से ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार से सम्बन्धित मानदंडों को पूरा करना जरूरी

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. कें सी चक्रवर्ती का कहना है कि स्थावर संपदा और दलाली फर्में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त कर सकती हैं। ये विधिसम्मत व्यवसाय हैं और यदि सभी अपेक्षाएं एवं सरोकार पूरे करते हैं, तो हम उन्हें लाइसेंस प्रदान करेंगे। उनका यह भी कहना है कि नये बैंकों को पहले दिन से ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार से सम्बन्धित उन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करना होगा, जिनमें कृषि, लघु उद्योगों, छोटे व्यवसायों, शिक्षा और आवास का समावेश है। कृषि को उधार को अन्य व्यवसायों पर चरम प्राथमिकता अवश्य प्राप्त होनी चाहिए।

बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के मनमाने मूल्य-निर्धारण से बचें

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. कें सी चक्रवर्ती का कहना है कि शीर्ष बैंक बैंकों को वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और वित्तीय समावेशन लाने के जुड़वां उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है। इससे समाज के अलग-थलग पड़ गए वर्गों को मुख्य धारा में लाने में सहायता प्राप्त होगी। बैंकिंग सेवाओं को एक पारदर्शी विधि से ठीक व्यक्ति की जरूरतों के अनुसार तथा उन कीमतों पर उपलब्ध कराया जाना होगा जिन्हे वह वहन कर सके। बैंकिंग उत्पादों एवं सेवाओं के मनमाने मूल्य-निर्धारण से हर हाल में बचा जाना चाहिए, ताकि ये सामान्य व्यक्ति की पहुंच में हों। प्रतिबद्धता की भावना पैदा करने तथा बैंकिंग सेवाओं को ग्राहकों की दहलीज़ पर उपलब्ध कराने में सहायता करने में कर्मचारी संघ की भूमिका अहम होती है।

बीमा

इर्डा शोधक्षमता मार्जिन सम्बन्धी बाध्यता घटाएगा

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने आगामी वित्त वर्ष से जोखिमपूर्ण निवेशों के लिए पर्याप्त प्रावधान की शर्त पर शोधक्षमता मार्जिन सम्बन्धी आवश्यकता को मौजूदा 150% के समक्ष घटाकर 145% करने का प्रस्ताव किया है। शोधक्षमता मार्जिन बीमाकर्ताओं के दावे का निपटारा करने की क्षमता का संकेतक होता है। शोधक्षमता -II मानदंड की रूपरेखा तैयार करने हेतु गठित एक विशेषज्ञ समिति विचार-विमर्श की प्रक्रिया से गुजर रही है।

अधिक सूक्ष्म बीमा विक्रेता संभव

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs), प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और व्यक्तियों, यथा - दुकानदारों, मेडिकल स्टोरों के स्वामियों तथा पेट्रोल-पंप स्वामियों और सार्वजनिक टेलीफोन प्रचालकों को ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में सूक्ष्म बीमा हेतु फेरी लागाने की अनुमति देने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य भीतरी

प्रदेश में जीवन, सामान्य और चिकित्सा बीमा की पैठ बढ़ाना है। सूक्ष्म बीमा विनियम बीमाकर्ताओं को ग्रामीण और कस्बाई आबादी को कमतर वितरण लागत के साथ वहनीय बीमा उत्पाद प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

सूक्ष्मवित्त

सूक्ष्मवित्त ने आन्ध्र पदेश के बाहर जड़ें जमाईं

देश में सूक्ष्म वित्त के एक तिहाई केन्द्र - आन्ध्र प्रदेश में व्यवसाय में मांग अभावी मंदी के परिलक्षित होने की प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद उभरते केन्द्रों ने इस क्षेत्र में नव-जीवन का संचार करना आरंभ कर दिया है। वर्ष 2011-12 में 15,433 करोड़ रुपये के उद्योग के सकल ऋण पोर्टफोलियो (GLP) में 15% की गिरावट की तुलना में इस वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में सकल ऋण पोर्टफोलियो (GLP) बकाये की रकम बढ़कर 18,639 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इस वृद्धि में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और बिहार जैसे राज्य अग्रणी स्थान पर रहे, क्योंकि ऋणदाताओं ने आन्ध्र प्रदेश में ऋण देना लगभग बंद कर दिया है।

सूक्ष्म वित्त संस्था के ऋण संवितरण में अक्तूबर- दिसम्बर में 22% की वृद्धि

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं ने अक्तूबर-दिसम्बर की अवधि में अच्छी-खासी ऋण मांग की रिपोर्टिंग की है। उन्होंने पूर्ववर्ती तिमाही (जुलाई-सितम्बर) में 5,089 करोड़ रुपये की तुलना में कुल मिलाकर 6,194 करोड़ रुपये 22% तक का ऋण संवितरित किया है। सूक्ष्मवित्त संस्थाओं के नेटवर्क (MFIN) की एक रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वाली तिमाही में कुल ऋण संवितरण में आन्ध्र प्रदेश के बाहर वाली सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की हिस्सेदारी 70% थी।

सहकारी बैंकिंग

सहकारी बैंक सोना खरीदने हेतु धन उधार नहीं देंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अपरिष्कृत (Primary) सोना, स्वर्ण बुलियन, स्वर्णाभूषण, सोने के सिक्कों, शेयर बाज़ार में खरीदी-बेची जाने वाली स्वर्ण निधियों (ETF) की यूनिटों तथा स्वर्ण पारस्परिक निधियों की यूनिटों सहित किसी भी रूप में सोना खरीदने हेतु ऋण न मंजूर करने का निदेश दिया है। यह निदेश हाल के वर्षों में इस मूल्यवान धातु के आयात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

विदेशी मुद्रा

मार्च 2013 माह के लिए यथा-प्रयोज्य विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक जमाराशियों की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बबदली

	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.78150	0.395	0.508	0.692	0.924
जीबीपी	0.93250	0.6283	0.7230	0.8824	1.0761
यूरो	0.44571	0.484	0.620	0.780	0.964
जापानी येन	0.45643	0.224	0.229	0.250	0.300
कनाडाई डालर	1.82400	1.295	1.401	1.536	1.676
आस्ट्रेलियाई डालर	3.54600	2.883	3.053	3.268	3.414
स्विस फ्रैंक	0.26840	0.141	0.215	0.330	0.476
डैनिश क्रोन	0.70250	0.6950	0.8210	0.9830	1.1590
न्यूजीलैंड डालर	3.33400	3.010	3. 200	3.373	3.533
स्वीडिश क्रोनर	1.73500	1.384	1.541	1.683	1.831
सिंगापुर डालर	0.50000	0.535	0.630	0.790	0.975
हांगकांग डालर	0.44000	0.470	0.570	0.690	0.880
एमवाईआर	3.23000	3.250	3.290	3.350	3.430

स्रोत : विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**22 फरवरी, 2013 के दिन**	**22 फरवरी, 2013 के दिन**
	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	15, 857.4	2 91,916.0
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	14, 054.6	2 58,228.9
ख) सोना	1, 437, 5	26, 974.9
ग) विशेष आहरण अधिकार	238, 2	4, 376.4
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	127.1	2, 335.8

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
सिंडिकेट बैंक	मारुती सुजुकी	सिंडवाहन योजना के अधीन कारों के वित्तीयन के लिए
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	एक्जिम बैंक	सहायता संघीय (सिंडिकेट) रुपया और विदेशी मुद्रा ऋणों का सह-वित्तीयन और उनकी सह-व्यवस्था करना, भारत में निर्यात-उन्मुख परियोजनाओं का संयुक्त रूप से वित्तीयन करने और पात्र निर्यातोन्मुख, विशेषत: लघु, मध्यम उद्यम क्षेत्र की कम्पनियों को अल्पावधिक निर्यात ऋण तथा दीर्घावधिक कैपेक्स ऋण देने हेतु भारतीय रुपयों और विदेशी मुद्राओं में पुनर्वित्तीयन सुविधा प्रदान एवं प्राप्त करना।
एचडीएफसी बैंक	टाइम्स इंटरनेट	एक ऐसे सह-ब्रॉण्डयुक्त क्रेडिट कार्ड का प्रवर्तन जो ग्राहकों को रेस्तराओं और सिनेमा हालों में 25% तक की छुट प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा।
आईसीआईसीआई बैंक	एअरसेल और वीसा	पूरे देश में स्थित उसके ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए।

नयी नियुक्तियां

श्री टी.एस. विजयन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष हो गए हैं।श्री टी.एस विजयन ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमश:)

इस अंक में 'दबाव परीक्षण' पर अपनी चर्चा को जारी रखते हुए हम दूसरे सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं।

2. किसी बैंक को ऐसा दबाव-परीक्षण कार्यक्रम परिचालित करना चाहिए जो जोखिम की पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देता हो; अन्य जोखिम प्रबन्धन साधनों को पूरक जोखिम परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराता हो; पूंजी और चलनिधि प्रबन्धन में सुधार लाता हो और आंतरिक एवं बाहरी संप्रेषण बढ़ाता हो।

दबाव-परीक्षण कार्यक्रम दबाव-परीक्षणों की उपयुक्त श्रेणियों के प्रवर्तन, विकास, निष्पादन एवं प्रयोज्यता के साधनों द्वारा (नीचे वर्णित) कई प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने की एक एकीकृत

रणनीति होती है। उद्देश्यों की श्रेणी में कई प्रकार की तकनीकों के उपयोग की अपेक्षा होती है, क्योंकि दबाव-परीक्षण एक आकार ही सब के लिए अनुकूल वाला दृष्टिकोण नहीं होता।

जोखिम की पहचान एवं नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए दबाव-परीक्षण को विभिन्न स्तरों पर जोखिम प्रबन्धन के कार्यकलापों में शामिल किया जाना चाहिए। इसमें व्यक्तियों अथवा उधारकर्ताओं के समूहों और लेनदेनों के पोर्टफोलियो जोखिम प्रबन्धन और उसके साथ ही किसी बैंक की रणनीति को समायोजित करने हेतु दबाव-परीक्षण का उपयोग शामिल होता है। विशेष रूप से, इसका उपयोग मौजूदा या संभाव्य फर्म-व्यापी जोखिम संकेन्द्रणों के निराकरण हेतु किया जाना चाहिए।

दबाव-परीक्षण को जोखिम-मूल्य (VaR) एवं किफायती पूंजी जैसे अन्य जोखिम प्रबन्धन साधनों को एक पूरक एवं स्वतंत्र जोखिम परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराना चाहिए। दबाव-परीक्षणों को उन जोखिम प्रबन्धन दृष्टिकोणों का पूरक होना चाहिए जो पूर्वकालिक आंकड़ों और अनुमानित सांख्यिकीय सम्बन्धों का उपयोग करते हुए जटिल, मात्रात्मक मॉडेलों पर आधारित होते हैं। विशेष रूप से, किसी विशिष्ट पोर्टफोलियो के लिए दबाव-परीक्षण के परिणाम उच्च विश्वास अंतरालों पर, उदाहरणार्थ जोखिम-मूल्य का निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त होने वाले सांख्यिकीय मॉडेलों की वैधता के बारे में अन्तर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण रूप से, चूंकि दबाव-परीक्षण उन आघातों के अनुरूपण की सुविधा प्रदान करते हैं, जो इसके पूर्व नहीं घटित हुए थे, इनका उपयोग आर्थिक एवं वित्तीय वातावरण में संभाव्य परिवर्तनों के प्रति मॉडेलों की सुदृढ़ता का आकलन करने हेतु किया जाना चाहिए। विशेष रूप से उपयुक्त दबाव-परीक्षणों को उन नये उत्पादों की पूर्वानुमानित जोखिम विशेषताओं को चुनौती देना चाहिए जिनमें सीमित पारंपरिक आंकड़े उपलब्ध होते हैं और जो दबाव की अवधियों से नहीं गुजरे हैं। प्रयोक्ताओं को उन दबाव-परिदृश्यों का भी अनुरूपण करना चाहिए, जिनमें मॉडेल में अन्तर्निहित सांख्यिकीय सम्बन्ध टूट जाते हैं, जैसा कि हाल के बाज़ार संकट के दौरान देखने में आया था। इन विविध दबाव-परीक्षणों के उपयोग से अनभिज्ञात जोखिम संकेन्द्रणों या जोखिमों के उन प्रकारों के बीच संभाव्य अन्योन्यक्रियाओं की सुभेद्यताओं का पता लगाने में सहायता मिलनी चाहिए, जो बैंक की व्यवहार्यता के लिए खतरा उपस्थित कर सकते हैं, किन्तु जो पारंपरिक आकड़ों पर आधारित विशुद्ध रूप से सांख्यिकीय जोखिम प्रबन्धन के साधनों पर निर्भर रहने पर छिपे रह सकते हैं।

दबाव-परीक्षण को उस आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) का एक एक अभिन्न अंग होना चाहिए, जिसमें बैंकों से इस प्रकार के कठोर प्रगतिशील परीक्षण करना अपेक्षित होता है, जो गंभीर घटनाओं या बाज़ार की उन स्थितियों की पहचान करते हों, जो बैंक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं। दबाव-परीक्षण को निधीयन चलनिधि जोखिमों की पहचान करने, उन्हें मापने और नियंत्रित करने, विशेष रूप से बैंक की चलनिधि प्रोफाइल और बैंक विशिष्ट तथा बाज़ार-व्यापी दबाव की घटनाओं, दोनों ही स्थितियों में चलनिधि के सुरक्षित भण्डार की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने का मुख्य साधन होना चाहिए।

दबाव-परीक्षणों को बैंक के भीतर जोखिम के संप्रेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। विशुद्ध रूप से सांख्यिकीय मॉडेलों के विपरीत, विश्वसनीय, प्रगतिशील परिदृश्य अधिक आसानी से समझ में आते हैं और उसके आधार पर वे सुभेद्यताओं के आकलन एवं संभाव्य प्रति-कार्रवाइयों की संभाव्यता एवं प्रभावशीलता के मूल्यांकन में सहायता करते हैं। दबाव-परीक्षणों को आंतरिक और विनियामक

पूंजी पर्याप्तता निर्धारणों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु पर्यवेक्षकों के साथ बाहरी संप्रेषण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। कोई बैंक बाज़ार को उसकी जोखिम प्रोफाइल एवं प्रबन्धन को समझने में समर्थ बनाने के लिए अपने दबाव-परीक्षण परिणामों को स्वैच्छिक रूप से अधिक व्यापक स्तर पर प्रकट करने की इच्छा कर सकता है। यदि कोई बैंक अपने दबाव-परीक्षण परिणामों को स्वैच्छिक रुप से प्रकट करता है, तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य पक्षों द्वारा इन परिणामों के बारे में सुविज्ञ निर्णय लिए जाएं प्रासंगिक सहायक सूचना भी प्रदान करने की इच्छा कर सकता है। इस सहायक सूचना में किसी महत्वपूर्ण दबाव-परीक्षण की सीमाओं, अन्तर्निहित मान्यताओं, प्रयुक्त तौर-तरीकों तथा दबाव-परीक्षण के प्रभाव के मूल्यांकन का समावेश हो सकता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

फेडरल बट्टा दर

फेडरल रिज़र्व द्वारा नियत वह ब्याज दर जो चलनिधि की समस्याओं और प्रारक्षित निधि की आवश्यकताओं के दबावों को कम करने के प्रयास में पात्र वाणिज्यिक बैंकों या अन्य निक्षेपागार संस्थाओं को प्रदान की जाती है। उक्त बट्टा दर फेडरल रिज़र्व को मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने में समर्थ बनाती है तथा उसका उपयोग वित्तीय बाज़ारों में स्थिरता का आश्वासन देने हेतु किया जाता है। बट्टा दर में कमी वाणिज्यिक बैंकों के लिए मुद्रा उधार लेना सस्ता कर देती है, जिसकी परिणति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के रूप में होती है। संक्षेप में, बढ़ी बट्टा दर बैंकों के लिए उधार लेना अधिक मंहगा कर देगी तथा उससे मुद्रा आपूर्ति में कमी आ जाएगी। फेड से उधार ली गई निधियां बट्टा पटल के माध्यम से संसाधित की जाती है तथा दर की प्रत्येक 14 दिन पर समीक्षा की जाती है।

शब्दावली

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार

देश के कुछेक इलाकों या क्षेत्रों को उनकी आर्थिक स्थिति अथवा सरकार की रुचि के आधार पर पूर्ववर्तिता दी गई है तथा उन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कहा जाता है, यथा - उद्योग, कृषि, इन्हें और भी विभाजित किया जा सकता है। बैंकों को देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऋण आवश्यक रूप से घटाई गई ब्याज दर पर बट्टे के साथ दिए जाने चाहिए। इसका अर्थ है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को इस विधि से उधार देना कि सुदृढ़ नेटवर्क एवं वित्तीय चैनलों की श्रृंखलाएं स्थापित करके दूर-दराज और पहुंच से परे लोगों को अधिकतम ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। प्राथमिकता के आधार पर उधार का मुख्य उद्देश्य उन सभी क्षेत्रों को वित्त प्रदान करना है जो वित्त और ऋण तक सहज पहुंच से अपवंचित हैं। इसमें सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली

के माध्यम से विकास को सुगम बनाए जाने और उसके साथ ही साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले गरीबों के जीवन स्तर को उच्च स्तर पर लाए जाने का भी समावेश है।

संस्थान की गतिविधियां

फरवरी, 2013 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण की गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड के लिए जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण और लेखा-परीक्षा पर कार्यक्रम	11 से 13 फरवरी, 2013 तक
2	ऋण मूल्यांकन (औद्योगिक एवं वाणिज्यिक अग्रिम)	25 फरवरी से 1 मार्च 2013 तक
3	आवास वित्त पर कार्यक्रम	4 से 6 मार्च, 2013 तक

अप्रैल, 2013 2013 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	अपने ग्राहक को जानिए / धन शोधन निवारण / आतंकवाद का मुकाबला पर 2रा कार्यक्रम	15 से 17 अप्रैल, 2013 तक
2	बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स और राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 1ला कार्यपालक विकास कार्यक्रम	22 से 27 अप्रैल 2013 तक
3	सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा और साइबर अपराधों पर 2री एक-दिवसीय कार्यशाला	22 अप्रैल, 2013

संस्थान समाचार

बैंकिंग उन्मुख हिन्दी (Banking Oriented Hindi) पुस्तक

बैंकिंग उन्मुख हिन्दी (Banking Oriented Hindi) पुस्तक का संशोधित संस्करण अब टैक्समैन के बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध है।

कारबार संपर्की / कारबार सुसाधक के माध्यम से समावेशी विकास ओड़िया भाषा में

'कारबार संपर्की / कारबार सुसाधक के माध्यम से समावेशी विकास' पर ओड़िया भाषा में पुस्तक 27/02/2013 को भुबनेश्वर में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में विमोचित कर दी गई है। उक्त पुस्तक टैक्समैन के बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध है।

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

जेएआईआईबी /डीबीएण्डएफ और सीएआईआईबी के लिए वेब कक्षाएं और ई-शिक्षण

संस्थान ने जेएआईआईबी /डीबीएण्डएफ और सीएआईआईबी के सभी अभ्यर्थियों के लिए अपनी वेब कक्षाओं और ई-शिक्षण की सुविधा जारी रखी है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

ई-मेल के माध्यम से आईआईबीएफ

संस्थान ने आईआईबीएफ - विज़न उसके पास पंजीकृत ई-मेल पतों पर ई-मेल द्वारा भेजना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करा रखे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते यथाशीघ्र पंजीकृत करा लें। आईआईबीएफ - विज़न संस्थान के पोर्टल में डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12 * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित * मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रेषित * प्रेषण की तिथि प्रत्येक महीने की 25वीं से 30वीं तारीख

हीरक जयंती और सी.एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज़ रिसर्च फेलोशिप

वर्ष 2012-13 के लिए हीरक जयंती और सी.एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज़ रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथी बढ़ा कर 31 मार्च, 2013 कर दी गई है।

अंतिम प्रमाणपत्र

डाक प्राधिकारियों द्वारा जिन अभ्यर्थियों के अंतिम प्रमाणपत्र संस्थान को वापस कर दिए गए थे, उनकी सूची शीघ्र ही संस्थान की वेब साइट पर उपलब्ध होगी। जिन अभ्यर्थियों के नाम उस सूची में शामिल हैं, वे मुंबई स्थित कारपोरेट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं /अपने अद्यतन पते के साथ मेल banc@iibf.org.tn. पर भेज सकते हैं।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

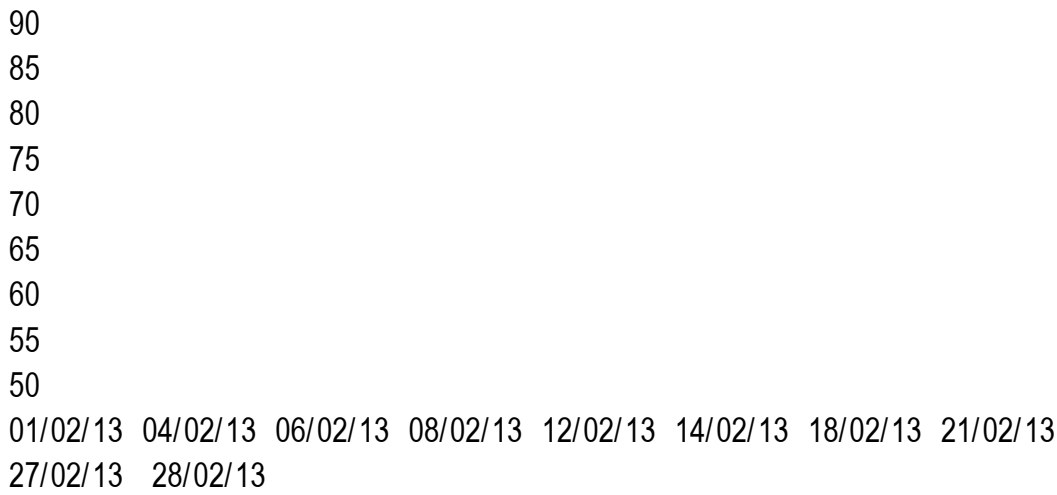

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- पिछले माह के अंतिम दिनरुपये में 8 पैसे का चढ़ाव आया, जिससे वह प्रति डालर 53.23 पर बंद हुआ।
- एनटीपीसी में सरकारी हितों की बिक्री से पहले विदेशी अन्तर्वाहों से सहायता पा कर 4थी को रुपये में साढ़े तीन माह में सर्वोच्च बंद वाले स्तर तक की मज़बूती आई। रुपया प्रति डालर 53.14 / 15 के स्तर पर बंद हुआ, जो 7 अक्तूबर के बाद सबसे मज़बूत बंद वाला स्तर था।
- 11वीं को अमरीका द्वारा 3 वर्षों में एक मामूली व्यापार घाटे की रिपोर्ट दिए जाने बाद रुपया 4थे दिन कमजोर पड़ा, जिससे डालर की मांग में सुधार होने में मदद मिली। उसमें 0.7% की गरिावट आई तथा वह प्रति डालर 53.8550 हो गया, जो 4थी जनवरी के बाद सबसे बड़ी गिरावट रही।
- 20वीं को व्यापक रूप से एक ऋण नीलामी से सम्बन्धित अन्तर्वाहों से सहायता पा कर रुपया दो सप्ताहों में सबसे अधिक मज़बूत हुआ। रुपया 54.185/195 के अपने पूर्ववर्ती बंद के मुकाबले 54.075/085 प्रति डालर पर बंद हुआ।
- शेष माह के दौरान रुपये में मिश्रित उतार-चढ़ाव परिलक्षित हुआ।
- माह के दौरान डालर और यूरो के समक्ष रुपये में मामूली मूल्यवृद्धि हुई तथा पौंड एवं जापानी येन के समक्ष मूल्यह्रास हुआ।

भारित औसत मांग दरें

8.00
7.90
7.80
7.70
7.60
7.50
7.40
7.30
7.20
7.10
7.00

01/02/13 02/02/13 05/02/13 07/02/13 09/02/13 11/02/13 16/02/13 18/02/13 20/02/13 22/02/13

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मार्च, 2012

- मांग के अभाव के कारण मांग दरें 4थी को 7.85% से घट कर 7.80% के कमतर स्तर पर बंद हुईं।
- मांग दरें व्यापक तौर पर 7% और 8% के चीच श्रेणीबद्ध बनी रहीं।
- पहले सप्ताह और तीसरे सप्ताह के दौरान चलनिधि की स्थिति सहज रही।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

20000
19800
19600
19400
19200
19000
18800
18600

01/02/13 05/02/13 07/02/13 11/02/13 12/02/13 13/02/13 14/02/13 18/02/13 20/02/13 21/02/13 25/02/12 26/02/13 27/02/13 28/02/13

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न मार्च, 2013